289

संख्या:179 /XXIV-3/18/02(17)14

प्रेषक,

एस0राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांक: 17 फरवरी, 2013

विषयः **जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भूरनी खतीरपुर रोड पर उपलब्ध किसान इण्टर कालेज लक्सर ग्राम खसरा न049 में 2.633 है0भूमि में से 01है0भूमि को राजकीय महाविद्यालय लक्सर के नाम हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्र संख्या:4–18/जिला भूमि व्यव0/2013 दिनांक:11 फरवरी, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शिक्षा विभाग की **जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भूरनी खतीरपुर रोड पर उपलब्ध किसान इण्टर कालेज लक्सर ग्राम खसरा न049 में 2.633 है0भूमि में से 01है0भूमि को राजकीय महाविद्यालय लक्सर को** शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक:15 फरवरी, 2002 के प्राविधानों के अन्तर्गत निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1. भूमि का हस्तान्तरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा। वन मामलों में भूमि के बाजार मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
2. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरण किया जा रहा हो वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तान्तरण किया जाये जितना काम विशेष के लिए आवश्यक हो।
3. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत नही।
4. यदि भूमि वन विभाग की "रक्षित वन भूमि" हो तो वह हस्तान्तरण के बाद भी "रक्षित वन भूमि" बनी रहेगी। "रक्षित वन भूमि" के हस्तान्तरण से सम्बन्धित ग्रामवासियों की कोई आपत्ति न हो और हस्तान्तरित भूमि के उपयोग करने के साथ में लगी हुई वन भूमि और वन सम्पदा को कोई हानि नहीं करायी जायेगी।
5. वन विभाग दूसरे सेवा विभाग से हस्तान्तरित भूमि का कोई मूल्य नहीं लेगा लेकिन यदि उसे भूमि पर पेड़ इत्यादि अन्य वन सम्पदा हो तो प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा वन विभाग को उक्त वन सम्पदा का मूल्य भुगतान करना पड़ेगा।
6. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा, और यदि भूमि की आवश्यकता न

हो या तीन वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो उसे मूल विभाग को वापस करना होगा।

7. सीमा सड़क संगठन को अन्य सेवा विभागों की भॉति वन भूमि सड़क निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त निःशुल्क हस्तान्तरित की जायेगी।

8. उत्तराखण्ड राज्य में स्थित अन्य सरकारी भूमि सड़क निर्माण हेतु सीमा सड़क संगठन को निःशुल्क हस्तान्तरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि पर जिस राजकीय विभाग का स्वामित्व है, उसकी सहमति/अनापत्ति लिखित रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

9. हस्तान्तरित भूमि को प्रस्तावित कार्य के इतर किसी भी प्रयोग में लाये जाने पर आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

भवदीय,

(एस0राजू0)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 179 /XXIV-3/14/02(17)14 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3– सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– निदेशक, उच्च शिक्षा नवाबी रोड हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
8– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, कुमाऊ/गढ़वाल मण्डल ।
9– जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10– मुख्य शिक्षाधिकारी, हरिद्वार।
11– प्रधानाचार्य, किसान इण्टर कालेज लक्सर, जिला–हरिद्वार।
12– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0तोमर)
उपसचिव।